



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062026-273955
CG-DL-E-30062026-273955

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2026/आषाढ 3, 1948

No. 180]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026/ASHADHA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

प्रारंभ सूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

मामला संख्या: एडी (ओआई)-25/2026

विषय: संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन गणराज्य और दक्षिण कोरिया से थर्मल पेपर या थर्मल सेंसिटिव पेपर के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच की शुरुआत.

1. फा. सं. 06/25/2026-डीजीटीआर.— सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (एंटी-डंपिंग ड्यूटी की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह नियम, 1995) (जिसे आगे 'नियम' कहा गया है) के संदर्भ में, भारतीय थर्मल पेपर निर्माता एवं संबद्ध उद्योग संघ ('आवेदक') (जिसे आगे 'आवेदकों' कहा गया है) ने संयुक्त राज्य अमेरिका ('यूएसए'), चीन पीआर और दक्षिण कोरिया ('दक्षिण कोरिया') से आयातित "थर्मल पेपर या थर्मल सेंसिटिव पेपर" पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी जांच शुरू करने के लिए नामित प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकरण' कहा गया है) के समक्ष आवेदन किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

2. आवेदन में वर्णित उत्पाद "थर्मल पेपर या थर्मल सेंसिटिव पेपर" है (दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है)। थर्मल पेपर में एक पारदर्शी डाई होती है जो गर्मी लगने पर रंग (आमतौर पर काला) में बदल जाती है। दूसरे शब्दों में, थर्मल पेपर एक रिकॉर्डिंग माध्यम है जिसे थर्मल प्रिंटर के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो स्याही का उपयोग किए बिना, गर्मी का उपयोग करके चित्र या पाठ बनाते हैं।
3. थर्मल पेपर में एक बेस पेपर होता है जिस पर कई परतें चढ़ाई जाती हैं, जिनमें एक प्रीकोट परत और एक थर्मल परत शामिल होती है, जिसमें एक विशेष रासायनिक मिश्रण होता है। हालांकि अधिकांश थर्मल पेपर काले रंग में चित्र बनाते हैं, लेकिन नीले, लाल या हरे जैसे अन्य रंग भी उपलब्ध हैं। इस उत्पाद का उपयोग एटीएम रसीदों, बस टिकटों, रेलवे टिकटों, बोर्डिंग पास, खुदरा बिल रसीदों, उपयोगिता बिलों, क्रेडिट/डेबिट कार्ड मशीन रसीदों, लेबलिंग और इसी तरह के अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है। अनुमान है कि थर्मल पेपर का लगभग 70% हिस्सा रसीदों के लिए उपयोग किया जाता है।
4. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 48 के अंतर्गत उपशीर्षक 4811 के अधीन वर्गीकृत है। यह उत्पाद एचएस कोड 48119093, 48119094, 48119095, 48119096 और 48119099 के अंतर्गत आयात किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ आयात उपशीर्षक 48119011 के अंतर्गत भी दर्ज किए गए हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
5. इस जांच से संबंधित हितधारक, यदि कोई हों, तो इस जांच के प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन कार्यप्रणाली पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।
6. विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित माप की इकाई मीट्रिक टन (मीट्रिक टन) या किलोग्राम (किग्रा) है।

ख. लेख को लाइक करें

7. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबंधित देशों से आयातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबंधित देशों से आयातित वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, उत्पादन प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के शुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। तकनीकी और व्यावसायिक रूप से ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जा सकती हैं। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद संबंधित देशों से आयातित उत्पादों के समान है।

ग. विषय देश

8. वर्तमान जांच संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), चीन गणराज्य और दक्षिण कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद की कथित डंपिंग के संबंध में है।

घ. जांच की अवधि

9. आवेदकों ने 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक (12 महीने की अवधि) को जांच अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। प्राधिकरण ने इसे जांच अवधि के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्षति अवधि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच अवधि शामिल हैं।

ङ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. यह आवेदन इंडियन एसोसिएशन ऑफ थर्मल पेपर मैनुफैक्चरर्स एंड अलाइड इंडस्ट्रीज द्वारा अपने सदस्यों की ओर से दायर किया गया है। इस एसोसिएशन में 16 सदस्य हैं, जिनमें से 14 विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक हैं। एम/एस विपुल केमिकल्स इंडिया प्रा. लि., एम/एस नाथ इंडस्ट्रीज लि., तथा एम/एस शेरी स्पेशियलिटी पेपर्स प्रा. लि.

ने व्यापार सूचना 05/2021 के तहत निर्धारित अनुसार आवश्यक क्षति संबंधी जानकारी प्रस्तुत की है। चार अन्य उत्पादक, अर्थात् एम/एस परफेक्ट कोटेड इंडिया प्रा. लि., एम/एस के पेपर टेक प्रा. लि., हरिश एक्रो पॉलिमर्स प्रा. लि. तथा सुपरटेक पेपर कोट्स ने वर्तमान आवेदन के समर्थन में पत्र प्रस्तुत किए हैं। भारत में थर्मल पेपर के निर्माता मुख्यतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों से बने हैं।

11. प्रस्तुत सूचना के आधार पर, प्राधिकरण ने नोट किया कि यह संघ भारत में समान उत्पाद के कुल उत्पादन के ९०% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। उन कंपनियों का कुल उत्पादन, जिन्होंने प्रासंगिक आंकड़े उपलब्ध कराए हैं तथा जिन कंपनियों ने स्पष्ट रूप से आवेदन का समर्थन किया है, भारत में पीयूसी के कुल घरेलू उत्पादन का ५०% से अधिक है। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि वे न तो विषयगत देशों में किसी निर्यातक से संबंधित हैं और न ही भारत में विषयगत वस्तुओं के किसी आयातक से। आवेदक ने कहा है कि आवेदक कंपनियों में से किसी ने भी विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

12. तदनुसार, तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आवेदक कंपनियाँ, अर्थात् एम/एस विपुल केमिकल्स इंडिया प्रा. लि., एम/एस नाथ इंडस्ट्रीज लि. तथा एम/एस शेरी स्पेशियलिटी पेपर्स प्रा. लि., नियम 2(बी) के अर्थ के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करती हैं, तथा यह आवेदन नियम 5(3) के संदर्भ में स्थायीत्व (standing) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. कथित डंपिंग का आधार

क. सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया में विषयगत वस्तुओं के लिए सत्यापनीय घरेलू विक्रय मूल्य प्राप्त नहीं हो सके, क्योंकि यह जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अभाव में, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों का उचित समायोजन किया गया है, तथा उचित लाभ भी जोड़ा गया है।

14. चीन पीआर के संबंध में, आवेदकों ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह चीन पीआर को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माने और एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 7 के अनुरूप, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए उचित रूप से समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करे।

15. आरंभिक प्रक्रिया के उद्देश्य से, आवेदक द्वारा प्रस्तावित पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

ख. निर्यात मूल्य

16. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मूल्य, डीजीसीआई&एस के आंकड़ों के अनुसार संबंधित देशों से आयात के सीआईएफ मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, हैंडलिंग शुल्क, बंदरगाह हैंडलिंग शुल्क, कमीशन और बैंक शुल्क को समायोजित करके एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य निकाला गया है।

ग. डंपिंग मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि डंपिंग मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और विचाराधीन देशों से निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के संबंध में यह काफी अधिक है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया यह प्रमाण मिलता है कि विचाराधीन देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग की जा रही है।

छ. चोट और कारण संबंध

18. आवेदकों ने डंपित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। विषयगत देशों से विषयगत आयातों की मात्रा निरपेक्ष (पूर्ण) तथा सापेक्ष दोनों रूपों में बढ़ी है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
19. आयात के कारण कीमतों में गिरावट और कीमतों में कटौती के प्रमाण मिले हैं। इन आयातों का घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आवेदकों को जांच अवधि के दौरान लाभ में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें नुकसान हुआ है। ये आयात भारतीय बाजार का एक बड़ा हिस्सा हैं। कीमतों पर इसके हानिकारक प्रभावों के साथ-साथ, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान हुआ है और कम लाभप्रदता भारतीय घरेलू उद्योगों की पूंजी जुटाने की क्षमता के लिए हानिकारक है।
20. उपरोक्त तथ्यों से, प्राधिकरण को प्रथम दृष्टया संबंधित देशों से उत्पन्न या निर्यातित वस्तुओं की डंपिंग, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कथित डंपिंग तथा क्षति के बीच कारण संबंध के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो नियमों के नियम 5 के तहत डंपिंग-विरोधी जांच शुरू करने, कथित डंपिंग के अस्तित्व, उसकी सीमा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा डंपिंग-विरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने को उचित ठहराते हैं, जो यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. जांच की शुरुआत

21. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदकों द्वारा डंपिंग और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति को प्रमाणित करने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, प्राधिकरण अधिनियम की धारा 9ए और नियमों के नियम 5 के अनुसार कथित डंपिंग और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति की जांच शुरू करता है, ताकि कथित डंपिंग के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और डंपिंग शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. प्रक्रिया

22. इस जांच में एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

23. सभी इच्छुक पक्षों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इच्छुक पक्षों द्वारा भेजे गए सभी पत्र-व्यवहार और प्रस्तुतियाँ उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस संख्या एडी (ओआई)-25/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुतियाँ का विवरण खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।
24. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार, और भारत में संबंधित उत्पाद से जुड़े आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दाखिल कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस प्रारंभिक अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों में निर्धारित प्रारूप और तरीके से दाखिल की जानी चाहिए।
25. कोई भी अन्य इच्छुक पक्ष भी इस प्रारंभिक अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों में निर्धारित प्रपत्र और तरीके से, इस प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी प्रस्तुति दे सकता है।

26. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले पक्ष को उसका एक गैर-गोपनीय संस्करण अन्य इच्छुक पक्षों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
27. संबंधित पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इस जांच से संबंधित किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नजर रखें। संबंधित पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचना और ऐसी अन्य सूचनाओं के संबंध में समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) पर नियमित रूप से जाएं।

ट. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपने पंजीकृत नाम और संबंधित मामले संख्या एडी (ओआई)-25/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुतीकरण के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (CV) और गैर-गोपनीय संस्करण (NCV), को संबंधित निर्धारित कॉलमों में उस तिथि से 37 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना चाहिए, जिस तिथि को प्राधिकरण द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण SETU पोर्टल पर परिचालित किया जाएगा या एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।
29. सभी हितबद्ध पक्षों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) से प्राधिकरण को अवगत कराएं तथा इस अधिसूचना में निर्धारित उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर केवल सेतु (सेतु) पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।
30. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियाँ दाखिल करने के लिए 15-दिवसीय अवधि, इस आरंभ सूचना में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।
31. जांच आयोग/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकरण, अनुवर्ती सूचना के माध्यम से, जांच आयोग और पीसीएन में ऐसा संशोधन करता है जो पहले प्रस्तावित नहीं था या प्रारंभिक अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। यह 15 दिनों का विस्तार संशोधित जांच आयोग और पीसीएन की अधिसूचना की तिथि से दिया जाएगा। इस अनुच्छेद में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद जांच आयोग और पीसीएन की कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 15 दिनों के विस्तार (यदि स्वीकृत हो) के बाद आगे के समय विस्तार के अनुरोधों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के, जैसा कि जांच प्राधिकरण नियमों के नियम 6(4) में उल्लिखित है।
32. समय सीमा बढ़ाने का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षों द्वारा उपरोक्त अनुच्छेद 29 में निर्दिष्ट मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय सीमा के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. यदि वर्तमान जांच में शामिल कोई भी पक्ष प्राधिकरण के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियाँ देता है या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो ऐसे पक्ष को साथ ही साथ ऐसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण भी प्रस्तुत करना होगा, जो कि एडी नियमों के नियम 7(2) के अनुसार और प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किए गए प्रासंगिक व्यापार नोटिसों के अनुरूप हो। उपरोक्त का पालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियों को अस्वीकार किया जा सकता है।

34. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी निवेदन (जिसमें संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक शामिल हैं) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, प्रश्नावली के उत्तरों सहित, गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करणों को अलग-अलग दाखिल करना आवश्यक है।
35. ऐसे सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" अंकित होना चाहिए। प्राधिकरण को बिना इस प्रकार के चिह्नों के प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज को प्राधिकरण द्वारा "गैर-गोपनीय" जानकारी माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पक्षों को ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।
36. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो स्वभाव से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी जिसे सूचना प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी जिसे स्वभाव से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या ऐसी जानकारी जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, उसके प्रदाता को दी गई जानकारी के साथ यह स्पष्ट कारण बताना होगा कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
37. संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की एक प्रति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को अनुक्रमित किया जाना चाहिए या (जहां अनुक्रमण संभव न हो) हटा दिया जाना चाहिए, और ऐसी जानकारी को गोपनीयता के दावे वाली जानकारी के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए।
38. गोपनीय जानकारी का सारांश इतना विस्तृत होना चाहिए कि गोपनीय रूप से दी गई जानकारी का सार आसानी से समझा जा सके। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह बता सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश संभव नहीं है, और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के साथ-साथ नियमों, 1995 के नियम 8 के अनुसार पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरण सहित एक कारण विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे प्राधिकरण संतुष्ट हो सके।
39. संबंधित पक्ष दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रचलन की तिथि से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।
40. प्रस्तुत जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर प्राधिकरण गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है या यदि जानकारी प्रदान करने वाला व्यक्ति जानकारी को सार्वजनिक करने या उसके सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में प्रकटीकरण की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक है, तो प्राधिकरण ऐसी जानकारी को अनदेखा कर सकता है।
41. नियमों के नियम 8 के अनुसार, बिना किसी सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या पर्याप्त और उचित कारण विवरण के, और प्राधिकरण द्वारा गोपनीयता के दावे पर जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस के बिना प्रस्तुत की गई कोई भी याचिका प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड में नहीं ली जाएगी।
42. यदि प्राधिकरण दी गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट हो जाता है, तो वह जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष की विशेष अनुमति के बिना इसे किसी अन्य पक्ष को प्रकट नहीं करेगा।

ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

43. किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई सभी गैर-गोपनीय सामग्री के संस्करण अन्य इच्छुक पक्षों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

द. असहयोग

44. यदि कोई भी संबंधित पक्ष उचित अवधि के भीतर या प्राधिकरण द्वारा इस प्रारंभिक अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर या बाद में अलग से दिए गए संचार के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार करता है या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे संबंधित पक्ष को असहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो उसे उचित लगे।

अमिताभ कुमार ,निर्दिष्ट प्राधिकरण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2026

Case No. AD (OI)-25/2026

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Thermal Paper or Thermal Sensitive Paper from the United States of America, China PR, and the Republic of Korea

1. **F. No. 06/25/2026-DGTR.**— Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty Rules, 1995) as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'). Indian Association of Thermal Paper Manufacturers' & Allied Industries ('Applicant') have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of anti-dumping duty investigation concerning imports of "Thermal Paper or Thermal Sensitive Paper" from the United States of America ('USA'), China PR, and the Republic of Korea ('South Korea'). M/s Vipul Chemicals India Pvt. Ltd., M/s Nath Industries Ltd., and M/s Sherry Speciality Papers Pvt. Ltd. (herein after also referred to as "Applicant companies") have submitted required injury and costing information on behalf of the Applicant.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC)

2. The product under consideration as defined in the application is "Thermal Paper or Thermal Sensitive Paper" (the terms being used interchangeably). Thermal Paper contains a transparent dye which changes to a colour (usually black) when heat is applied. In other words, thermal paper is a recording medium designed for thermal printers, which operate without ink by applying heat to create images or texts.
3. Thermal Paper consists of a base paper coated with several layers including a precoat layer and a thermal layer, containing a specialized chemical mix. Although most thermal papers produce developed images in black, other colours such as blue, red or green are also available. The product under consideration is used for ATM receipts, bus tickets, railway tickets, boarding passes, retail billing receipts, utility bills, credit/debit card machine receipts, labelling, and similar applications. It is estimated that approximately 70% of the thermal paper is used for receipt paper.
4. The product under consideration is classified under Chapter 48 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 4811. The product under consideration is imported under HS codes 48119093, 48119094, 48119095, 48119096, and 48119099. Additionally, some imports have also been recorded under sub-heading 48119011. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
5. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PUC/PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.
6. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is Metric Tons (MT) or Kilogram (Kg).

B. LIKE ARTICLE

7. The applicant has claimed that there is no significant difference between the subject goods produced by the applicants and imported from the subject countries. Subject goods produced by the domestic industry in India and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The product produced by the applicants is like article to the products being imported from the subject countries.

C. SUBJECT COUNTRIES

8. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from the United States of America (USA), China PR, and the Republic of Korea (South Korea).

D. PERIOD OF INVESTIGATION

9. The applicant has proposed the period from 1st January 2025 to 31st December 2025 (a period of 12 months) as period of investigation. The Authority has considered this as the period of investigation. The injury period covers the period of 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

10. The application has been filed by Indian Association of Thermal Paper Manufacturers' & Allied Industries on behalf of its members. The Association comprises 16 members, of which 14 are producers of the product under consideration. M/s Vipul Chemicals India Pvt Ltd., M/s Nath Industries Ltd., and M/s Sherry Speciality Papers Pvt. Ltd. have submitted required injury information as- prescribed under Trade Notice 05/2021. Four other producers i.e M/s. Perfect Coated India Pvt. Ltd., M/s. K Paper Tech Pvt. Ltd., Harish Acro polymers Pvt. Ltd and Supertech Paper Coats have submitted letters of support for the present application. The manufacturers of thermal paper in India predominantly consist of MSME units.
11. On the basis of the information furnished, the Authority notes that the association represent more than 90% of the total production of the like product in India. The total production of the companies who have provided the relevant data and the companies who have expressly supported the application constitutes more than 50% of the total domestic production of the PUC in India. The domestic industry has clarified that they are neither related to any exporter in the subject countries nor to any importer of the subject goods in India. The Applicant has stated that none of the applicant companies have imported the subject goods from the subject countries.
12. In view of the same, and based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant companies i.e M/s Vipul Chemicals India Pvt Ltd., M/s Nath Industries Ltd., and M/s Sherry Speciality Papers Pvt. Ltd. constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b), and the application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3).

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING**a. Normal Value**

13. The Applicant has submitted that it could not obtain verifiable domestic selling prices for the subject goods in the USA and South Korea, as this information is not available in the public domain. In absence of the information available, the normal value for USA and South Korea has been constructed based on cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, with reasonable profit.
14. With respect to China PR, the applicants have requested the Authority to treat China PR as a Non-Market Economy country and to construct the normal value on the basis of the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include a reasonable profit margin, consistent with Rule 7 of the Anti-Dumping Rules.
15. For the purpose of initiation, the normal value has been determined based on the methodology proposed by the applicant.

b. Export Price

16. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of imports from the subject countries as per the DGCI&S data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, handling charges, port handling charges, commission, and bank charges to arrive at the ex-factory export price.

c. Dumping Margin

17. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject countries. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

18. The applicants have provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject countries has increased in both absolute as well as relative terms. The market share of the domestic industry has declined over the injury period.
19. There is evidence of price depression and price undercutting due to dumped imports of subject goods from subject countries. The market share of the domestic industry has declined over the injury period while the same has increased for imports from subject countries.
20. The subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry. The applicants have suffered a steep decline in profits resulting into losses in the period of investigation. Due to this, the profitability of the domestic industry has declined significantly, and the company is in loss during the POI. The domestic industry has incurred financial losses, cash losses and meagre return on capital employed during the period of investigation. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.

H. INITIATION OF THE INVESTIGATION

21. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of / *prima facie* evidence submitted by the applicants substantiating the dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation into the alleged dumping and consequent material injury to the domestic industry in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

22. The provisions stipulated in Rule 6 of the anti-dumping rules shall be followed in this investigation

J. SUBMISSION OF INFORMATION

23. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded onto the SETU portal under their registered name and corresponding case AD/OI/25/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
24. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
25. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
27. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal(<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. TIME LIMIT

28. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case AD/OI/25/2026. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority in SETU portal or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
30. The 15-day period to file comments on the scope of PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this initiation Notification.
31. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for further extension of time beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with Rule 6(4) of the AD Rules.
32. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original time limit mentioned in this initiation Notification. Requests submitted after this time will not be considered.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

33. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
34. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
35. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
36. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
37. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
38. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

39. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in SETU portal.
40. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
41. Any submission made without a meaningful non-confidential version there of or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
42. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

43. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

N. NON-COOPERATION

44. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority